

39/2016 कैशर सिंह आदी - विजयपाल सिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-11-20	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पों.उपरिथत पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक... को पेश हों।</p>	
19-1-21	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलंट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तामि अपीलंट का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक... को पेश हों।</p> <p><i>(Signature)</i> पुत्रवध अविनारी एवं पद्मेन राजरव अपील अधिकारी</p>	
16-2-21	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि अपनी स्थिति से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आपत्ती स्थिति पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपीलंट कार्रज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलंट ने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये मने है इससे स्पष्ट है कि अपीलंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्रज की जाती है। निर्णय सरे इतना ही सुनाया गया। पत्रावली केवल सुना होकर नंबर से कम लेकर बाद तत्तीय तदपील नसिहत जारी है।</p> <p><i>(Signature)</i> पुत्रवध अविनारी एवं पद्मेन राजरव अपील अधिकारी सीकर</p>	